(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1381–दो/2013 विरूद्ध आदेश, दिनाक 26.11.2012 पारित द्वारा नायब तहसीलदार टप्पा शाहगंज के प्रकरण कमांक–7/अ–70/2011–2012

1–लालता प्रसाद आत्मज स्व. श्री रामकिशन,
निवासी ग्राम–डोबी तहसील बुदनी जिला सीहोर।

निगराकार.....

विरूद्ध

1–छोटेराम आत्मज श्री पूरन सिंह,
निवासी ग्राम सीतामऊ तहसील बुदनी जिला सीहोर।

गैरनिगराकार.....

श्री गुलाब सिंह चौहान, आवेदक अधिवक्ता
श्री आर0 के0 सेन, अनावेदक अधिवक्ता

:: **आ दे श** ::

(पारित दिनांक– 2.3.16 2016)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार टप्पा शाहगंज जिला सीहोर के आदेश दिनांक 26.11.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक छोटेराम द्वारा भूमि सर्वे कमांक 87/1 रकबा 0.048 है. ग्राम डोबी तहसील बुदनी जिला सीहोर के सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर से प्रकरण कमांक 16/अ–12/10–11 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 20.07.12 से सीमांकन की पुष्टि की गयी थी। इस सीमांकन में अनावेदक के स्वामित्व की भूमि के 0.06 एकड़ रकबा पर आवेदक का कब्जा पाया गया था। जिसके आधार पर अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के तहत उक्त कब्जाधीन रकबे पर से कब्जा हटाने की कार्यवाही करने हेतु आवेदन नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 7/अ–70/11–12 में पारित आदेश दिनांक 26.11.12 से आवेदक का आदेश 8 नियम 1 सीपीसी के आवेदन पर जवाब एवं अनावेदक के साक्ष्य हेतु नियत किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के संबंध में आवेदक अधिवक्ता के प्रकरण में तर्क श्रवण किए गये। उनके द्वारा अपने तर्क के समय न्यायालय राजस्व मण्डल के निगरानी प्रकरण कमांक 2887/दो/12 में पारित आदेश दिनांक 22.10.13 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने उक्त आदेशानुसार विवादित भूमि के सीमांकन प्रकरण कमांक 16/अ–12/10–11 में पारित सीमांकन आदेश को निरस्त कर दिया गया है और इसी सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भ की गयी थी जिसके विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष विचाराधीन है। चूंकि जब सीमांकन कार्यवाही ही राजस्व मण्डल द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.10.13 से समाप्त कर दी गयी है तब इस प्रकरण को चलाने का अब कोई औचित्य नहीं है। अतः निगरानी प्रभावशून्य होने से इसी स्तर पर समाप्त करने का निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया और प्रकरण के संलग्न राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक 2887/दो/12 में पारित आदेश दिनांक 22.10.13 का

अवलोकन किया गया। अवलोकन से आवेदक अधिवक्ता के तर्कों की पुष्टि होती हैं। परिणामस्वरूप यह निगरानी उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रभावशून्य होने से इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस किया जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि.हो।

2.3.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश,
ग्वालियर